न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––108/2017

प्रविष्टि दिनांक ––17.7.2017

जमीला उर्फ बीबी पत्नी कालूखां मेवाती जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा तहसील व जिला टोंक

–वादिया

बनाम

1. फययाज पुत्र इलियास खां जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
2. एजाज उर्फ मुन्ना पुत्र इलियास खां जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
3. शहजाद पुत्र इलियास जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
4. मुश्ताक पुत्र इलियास जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
5. मुख्तार पुत्र इलियास जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
6. रईस पुत्र महबूब खां जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
7. हबीब पुत्र महबूब जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
8. नदीम पुत्र महबूब जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
9. आसिया पत्नी गुलजार जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
10. फरमान पुत्र गुलजार ना0बा0 जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता आसिया पत्नी गुलजार जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
11. रोमान पुत्र गुलजार ना0बा0 जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता आसिया पत्नी गुलजार जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
12. मुस्कान पुत्री गुलजार ना0बा0 जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता आसिया पत्नी गुलजार जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
13. सोफिया पुत्री गुलजार ना0बा0 जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता आसिया पत्नी गुलजार जाति मुसलमान निवासी ताल कटोरा टोंक
14. तहसीलदार टोंक
15. मेहबूब खा पुत्र जहूर खां मेवाती निवासी ताल कटोरा टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री रजनीश यादव–अभिभाषक वादिया
श्रीमती अनिता यादव –अभिभाषक प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज
निर्णय

दिनांक–27/2/18

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि ख.न. 62 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 65 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, ख.न. 67 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख.न. 88 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता–4, कुल रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा एवं ख.न. 63 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख.न. 64 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख.न. 66 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता– 3 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सेवाराम पुरा गै0आबाद तहसील व जिला टोंक मे स्थित है। उक्त भूमि का अंकन खाता सं0 35 व 51 ग्राम सेवारामपुरा गै0आबाद जमाबंदीसंवत 2073–76 मे हो रखा है। उक्त दोनो खातो मे वादिया का नाम बीबी पत्नी स्व0 कालू खां राजस्व कर्मचारियों ने अंकित कर रखा है जो गलत है जबकि वादिया का सही नाम जमीला उर्फ बीबी पत्नी स्व0 कालू खां है। जो ग्राम शकूरपुरा के खाता सं0 133 वस

उपखण्ड अधिकारी
टोंक

119 तथा कस्बा टोंक के खाता सं0 732, 479 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2070–73 मे सही नाम अंकित हो रखा है। इस प्रकार सेवारामपुरा गै0आ0 की जमाबंदी संवत 2073–76 मे खाता सं0 35, 51 मे जो बीबी नाम गलत अंकित हो रखा है। जबकि वादिया का सही नाम जमीला उर्फ बीबी है। अत' उक्त भूमि में गलत नाम बीबी पत्नी स्व0 कालू के स्थान पर सही व वास्तविक नाम जमीला उर्फ बीबी पत्नी कालू खां दुरूस्त किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिसमे अंकितानुसार प्रतिवादी सं0 1 ता 13 एवं 15 की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद पत्र स्वीकार है। वाद पत्र मे चाही गई इस्तदुआ अनुसार खाता सं0 35 व 51 मे बीबी पत्नी स्व0 कालूखां के स्थान पर जमीला उर्फ बीबी पत्नी कालू खां दुरूस्त करने मे कोई आपत्ति नही हैं।

अधिवक्ता वादिया द्वारा पी.डब्ल्यू–1 के रूप मे जमीला उर्फ बीबी के, पी.डब्ल्यू–2 जमील खा पुत्र बशीर खां मेवाती के बयान करवाये गये।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2073–76, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली, बयान एवं साक्ष्य दस्तारवेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादिया की बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम सेवारामपुरा गै0आ0, वादिया का नाम बीबी अंकित है पत्रावली पर उपलब्ध आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड मे वादिया का नाम जमीला उर्फ बीबी अंकित हैं। उक्त जमीला उर्फ बीबी के स्थान पर मात्र बीबी लिखा जाना लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो दुरूस्त कराने के वादिया अधिकारी है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सेवाराम पुरा गै0आ0 की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता सं0 35 व 51, मे अंकित नाम **"बीबी"** के स्थान पर **"जमीला उर्फ बीबी"** शुद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 27/2/18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक